न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेव सिंह हाडा

अपील संख्या 94/14 तारीख रजू– 28/03/15

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी नवीन स्कूल के पास नसिया कॉलोनी गंगापुरसिटी। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी। ––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक– 04/06/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 239/13 मे पारित आदेश दिनांक 16/09/13 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम चूली की आराजी खसरा नम्बर 2373/988 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु. रास्ता पर संवत 2070 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ फसल जप्त सरकार किये जाने व अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 2373/988 रकवा 0.04 हैक्टर भूमि पर अपीलार्थी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है पटवारी हल्का ने बिना मोका निरीक्षण किये हुए कयास मात्र के आधार पर अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट पेश करदी है व अपीलार्थी को बिना सुने अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है वरन आराजी खसरा नम्बर 988 अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलाण्ट काबिज है। इस भूमि मे होकर कभी कोई रास्ता नही रहा है वरन पडोसी काश्तकार ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर 0.04 हैक्टर का रास्ता बनवा लिया है जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नही है। यह रास्ता अभी नया बनाया गया है आज तक उक्त रास्ते की मोके पर तरमीम एवं नापतोल नही की गई है केवल मात्र रिकार्ड मे रास्ता दर्ज है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी मे नही आता है क्योकि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि मे से पडौसी काश्तकार की मांग पर नवीन रास्ता बनाये जाने का आदेश राजस्व अधिकारियो द्वारा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अदालत मातहत द्वारा 239/13 को पारित निर्णय की अपील 28/03/14 को प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अंकित नही किया है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि आदेश जेरे

पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के कम मे स्थल जांच करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया है जिसमे कोई अनियमितता नही है। अतः अपीलार्थी खारित की जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे लिए तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत रूप से सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई तिथि 09/09/13 का पश्चातवर्ती अतिचार का नोटिस जारी किया गया था जिसकी पालना मे अतिक्रमी ने नियत तिथि को अदालत मातहत मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। ऐसी अवस्था मे अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नही है कि उसको सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया हैं। जहां तक अपीलार्थी को अतिक्रमित भूमी पर अतिक्रमी/पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार,गंगापुरसिटी ने पत्रांक 668 दिनांक 11/12/14 से जो मोका रिपोर्ट भिजवाई है उसमे जिसी नक्शे मे आराजी खसरा नम्बर 2373/988 रकवा 0.04 हेक्टर को नवीन आम रास्ता होना बताया है परन्तु नजरी नक्शे के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 2373/988 के पहले आराजी खसरा नम्बर 2373/985 ओर है तथा नायब तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट मे वर्तमान मे मोके पर कोई रास्ता नही चल रहा है बताया है। अपीलार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 988 को अपनी खातेदारी के कब्जे काश्त की भूमि होना बताया है तथा जब अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 2373/985 किसी दीगर व्यक्ति के कब्जे काश्त की भूमि है तो जब पहले ही रास्ता नही है तथा राजस्व रिकार्ड मे नवीन रास्ता बताया हुआ है तो अपीलार्थी के विरूद्व अदालत मातहत द्वारा बिना मोके की जॉच कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है इस लिए अपीलार्थी के अतिचार के बारे मे अदालत मातहत से मोके की जॉच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति व कुर्क जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास की सजा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार,गंगापुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मोके पर स्वंय जाकर आम रास्ते पर निशान लगावे तथा यदि अतिक्रमण पाया जावे तो नवीन सिरे से पुनः अतिचारियो के विरूद्व कार्यवाही कर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04/06/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर